// 348

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः- 1324/XVII-02/2013-05(OBC)/2012- T.C.-III

प्रेषक,

बी0एस0मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 22 मार्च,2013

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3098/स0क0/पि0जा0छात्र/2012-13 दिनांक 8 फरवरी, 2013 के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़े हुये जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के0स0) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रु0 4935.61 लाख के सापेक्ष **रु0 11,49,62,000.00 (रुपये ग्यारह करोड़ उनचास लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 की में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि छात्रों के बैंक खातों में ही जमा की जानी आवश्यक होगी।
3. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। **आवंटन एवं व्यय की स्थिति के साथ-साथ लाभान्वित हुये लाभार्थियों की संख्या से प्रत्येक माह शासन को अवगत कराया जाए।**
6. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यान्वयन के लिए न किया जाय।
7. सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम एक लाख रूपये है, के

आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार करने के पश्चात पहले निर्धनतम छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित की जाये:–

(क) सर्वप्रथम उपलब्ध धनराशि से केन्द्र/राजकीय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक कोर्स हेतु (इन्टरमीडिएट, स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रम यथा बी0ए0,बी0कॉम, बी0एस0सी0,एम0ए0, एम0 कॉम, एम0एस0सी0 आदि) के छात्र/छात्राओं, तत्पश्चात केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वात्तशासीय शिक्षण संस्थानों में व्यवासायिक/तकीनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में काउंसलिंग के माध्यम से कॉमन टेस्ट के आधार पर सरकारी फी सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) तक के अनुसार छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराषि अवशेष रहती है, तो उसके पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पात्र छात्र/छात्रा प्रदेश के बाहर अध्ययनरत है, उन छात्र/छात्राओं को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की जाये।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्रों को सीमित वित्तीय संसाधनों दृष्टिगत निर्धारित मदों में शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाये। उसके सन्दर्भ में यदि समान आय सीमा के एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति आवेदकों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग (Ranking) तथा द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष आदि में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिए विगत वर्षों में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता प्राप्त छात्र को अवरोही क्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।
9. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्रों को भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व यह पुष्टि कर ली जाये कि उक्त मदवार धनराशि प्रत्येक दशा में विद्यालयी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के ही अनुरूप हो।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व तक व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
16. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार National Allocation के आधार पर छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करते हुये लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की सूचना तथा वित्तीय वर्ष में व्यय

धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र माह अप्रैल, 2013 के अन्त तक शासन उपलबध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15 के "आयोजनागत पक्ष" में संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः– 229(P)/XXVII(1)/13 दिनांक 22 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में एवं आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेंट आई0डी0 संख्या–S1303150404 दिनांक 21 मार्च,2013 के द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एस0मनराल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–1324/XVII–2/2013–05(OBC)/2012–T.C.-III तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 वल्दिया)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Social Welfare (S045)

त्र पत्र संख्या - 1324/XVII-02/2013-05(OBC)/2012-T.C.-III

असोटमेंट आई डी - S1303150404

न संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 21-Mar-2013

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

खा शीर्षक - 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
03 - अन्य पिछडी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्यय

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजन

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	7000000	0	7000000
	7000000	**0**	**7000000**

खा शीर्षक - 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
03 - अन्य पिछडी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्यय

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजन

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0	114962000	114962000
	0	**114962000**	**114962000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 114962000